रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-75/2025/3885/22-2-2022-17(513)/2022

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 21 जून, 2022 (विश्व योग दिवस) के अवसर पर जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकेवल मौर्या (बन्दी संख्या-600/2009) पुत्र श्री रामकुमार मौर्या उर्फ पहलवान मौर्या, निवासी ग्राम-पाराखान, थाना-को0 अयोध्या, जनपद-अयोध्या, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-69/2006 मे भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), जनपद-फैजाबाद के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 16 वर्ष 05 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 02 दिन की सपरिहार सजा कारावास मे भोगी गयी है। बन्दी द्वारा कारावास की भोगी गयी सजा, कारावास की अवधि में जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव।

संख्या-75/2025/3885(1)/22-2-2022-17(513)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in